NDTV

NEW DELHI TELEVISION LIMITED

CIN: L92111DL1988PLC033099

Registered Office: 207, Okhla Industrial Estate, Phase - III, New Delhi -110020

Phone: (91-11) 4157 7777, 2644 6666; Fax: 2923 1740

E-mail: corporate@ndtv.com; Website: www.ndtv.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting ("AGM") of the Member of New Delhi Television Limited will be held on Monday, September 8, 2014 at 3:30 p.m. at Air Force Auditorium, Subroto Park, Dhaula Kuan, New Delhi – 110 010, to transact the items of ordinary and special businesses as set out in the AGM Notice dated August 6, 2014, which is sent, together with the Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013, in respect of special businesses as specified therein and Annual Report of the Company for the year 2013-2014, to those members who have sought physical copies of the same and for others, the Annual Report and the Notice of AGM are sent through electronic mode. Members are informed that the Company has completed the dispatch of the Notices of the AGM and Annual Reports, through permitted modes, on August 14, 2014.

Please note that these documents are also available on the Company's website **www.ndtv.com** and website of KARVY Computershare Private Limited (Registrar & Share Transfer Agent) ("KARVY") **https://evoting.karvy.com** for download by the members and physical copies of the same are available for inspection, during office hours, at the registered office of the Company.

In case the members want to register their email address or as and when there is a change in their email address, the same may be updated with the Depository Participant / KARVY, as the case may be.

In compliance with provisions of Clause 35B of the Listing Agreement and Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is pleased to provide its members facility to exercise their right to vote at the 26th AGM on the resolutions mentioned in the AGM Notice by electronic means through e-voting services provided by KARVY.

The e-voting shall be open from September 2, 2014 (from 9.00 A.M. IST) to September 4, 2014 (at 6.00 P.M. IST) (both days inclusive). The e-voting shall not be permitted beyond 6.00 p.m. on September 4, 2014 and the e-voting module shall be disabled by KARVY for voting thereafter. Please read the instructions printed under the note 18 to the Notice of the 26th AGM, before exercising the vote. Further, for the process and manner of electronic voting, Members may refer to the 'Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders' and 'e-voting user manual for shareholders', available at the download section of **https://evoting.karvy.com**.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Hemant Kumar Singh, Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer for scrutinizing the e-voting process in a fair and transparent manner.

E-voting is optional. The e-voting rights of the members / beneficiary owners shall be reckoned in proportion to their shares of the paid up share capital of the Company as on Friday, August 1, 2014, being the cut-off date (record date) for the purpose. Members of the Company holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the cut-off date, may cast their vote electronically during the e-voting period.

The Results of the e-voting along with the result of the poll conducted at the AGM and the Scrutinizer's Report shall be sent to stock exchanges, where the securities of the Company are listed and placed on the Company's website **www.ndtv.com** and on the website of KARVY **https://evoting.karvy.com** within two (2) days of passing of the resolutions at the AGM.

Any grievances in respect of e-voting may be addressed to KARVY at 040-44655000 or at 1800 345 4001 (toll free) or its Email – ID: **evoting@karvy.com** with a copy marked to Mr. Hemant Kumar Gupta, AVP – Legal & Secretarial at his Email – ID: **hemantg@ndtv.com** for prompt attention.

Notice is also hereby given pursuant to provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder, that the Register of Members and the Share transfer books of the Company shall remain closed from Friday, September 5, 2014 to Monday, September 8, 2014 (both days inclusive) for the purpose of ensuing Annual General Meeting.

NOTES:

1. **A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING (THE "MEETING") IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE ON A POLL INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND THE PROXY SO APPOINTED NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY.**
2. **THE DULY COMPLETED, STAMPED AND SIGNED PROXY FORM, TO BE EFFECTIVE, SHOULD REACH THE REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY NOT LESS THAN FORTY EIGHT HOURS BEFORE THE SCHEDULED TIME OF THE MEETING.**
3. **A PERSON CAN ACT AS A PROXY ON BEHALF OF MEMBERS NOT EXCEEDING FIFTY AND HOLDING IN THE AGGREGATE NOT MORE THAN TEN PERCENT OF THE TOTAL SHARE CAPITAL OF THE COMPANY CARRYING VOTING RIGHTS. A MEMBER HOLDING MORE THAN TEN PERCENT OF THE TOTAL SHARE CAPITAL OF THE COMPANY CARRYING VOTING RIGHTS MAY APPOINT A SINGLE PERSON AS PROXY AND SUCH PERSON SHALL NOT ACT AS A PROXY FOR ANY OTHER PERSON OR A MEMBER.**

For New Delhi Television Limited
Sd/-
K.V.L. Narayan Rao
Executive Vice-Chairperson

Place: New Delhi
Date: August 22, 2014

का नाम दौड़ में शामिल था जिसे आंतरिक विरोध के कारण रोक आप के विधायक स्वतः इसके सदस्य हो जाते हैं।

NDTV

नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड

सीआईएनः L92111DL1988PLC033099

पंजीकृत कार्यालयः 207, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज–III, नई दिल्ली–110020

फोनः (91–11) 4157 7777, 2644 6666 फैक्सः (91–11) 2923 1740;

ई-मेलः corporate@ndtv.com; वेबसाईटः www.ndtv.com

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड के सदस्यों की 26वीं वार्षिक आम सभा, ("एजीएम"), 6 अगस्त 2014 दिनांकित एजीएम की सूचना में निहित साधारण एवं विशेष व्यवसायों के सम्पादन हेतु, सोमवार, 8 सितम्बर 2014 को 3:30 बजे अपराह्न एअर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, धौला कुँआ, नई दिल्ली – 110010 में आयोजित की जाएगी, जिसकी सूचना के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अन्तर्गत व्याख्यात्मक विवरण, विशेष व्यवसायों के संबंध में, जैसा कि उसमें निर्दिष्ट है एवं वर्ष 2013–14 हेतु कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को जिन्होंने इसकी भौतिक प्रतियाँ मांगी है, भेजा गया है एवं अन्य हेतु वार्षिक रिपोर्ट तथा एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित किया गया है। सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण, अनुमति के माध्यम से, 14 अगस्त 2014 को पूरा कर लिया है।

कृपया ध्यान दें कि उक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट **www.ndtv.com** एवं कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट) ("कार्वी") की वेबसाइट **https://evoting.karvy.com** पर सदस्यों द्वारा डाउनलोड हेतु उपलब्ध हैं एवं इनकी भौतिक प्रति कार्यालय कार्य–काल के दौरान कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध है।

यदि सदस्य अपना ई–मेल पता पंजीकृत करवाना चाहते हैं अथवा जब कभी उनके ई–मेल पते में परिवर्तन होता है, तो उसका अद्यतन, जैसा भी इस मामले में हो, डिपोज़िटरी पार्टिसिपैंट/कार्वी के साथ किया जा सकता है।

सूचीबद्ध अनुबन्ध के उपबन्ध 35बी के प्रावधानों एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कम्पनी (प्रबंधन एवं संचालन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुपालन में कम्पनी अपने सदस्यों को 26वीं एजीएम में, कार्वी द्वारा प्रदान की जा रही ई–वोटिंग सेवा के माध्यम से, एजीएम की सूचना में उल्लेखित प्रस्तावों पर इलेक्टॉनिक माध्यम से अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है।

ई–वोटिंग 2 सितम्बर 2014 (9:00 बजे पूर्वाह्न भारतीय मानक समय) से 4 सितम्बर 2014 (6:00 बजे सायं भारतीय मानक समय) (दोनों दिवस सम्मिलित) तक खुली रहेंगी। ई–वोटिंग की अनुमति 4 सितम्बर 2014 सायं 6:00 बजे के पश्चात् नहीं दी जाएगी एवं इसके पश्चात् ई–वोटिंग मापांक कार्वी द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। मतदान का प्रयोग करने के पूर्व कृपया 26वीं एजीएम की सूचना में मुद्रित निर्देश के अन्तर्गत टिप्पणी 18 पढ़ें। इसके अतिरिक्त, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया एवं तरीके हेतु **https://evoting.karvy.com** के डाउलोड अनुभाग में उपलब्ध 'Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders' एवं 'e-voting user manual for shareholders' को संदर्भित कर सकते हैं।

कम्पनी के निदेशक मंडल ने श्री हेमन्त कुमार सिंह, व्यवसायिक कम्पनी सचिव को एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई–वोटिंग प्रक्रिया के संवीक्षण हेतु, संवीक्षक के तौर पर नियुक्त किया है।

ई–वोटिंग वैकल्पिक हैं। सदस्यों/लाभ भोगी स्वामियों को ई–वोटिंग मतदान का अधिकार, शुक्रवार, 1 अगस्त 2014, इस उद्देश्य हेतु निर्धारित कट–ऑफ तिथि (रिकार्ड तिथि) को, कम्पनी की प्रदत्त पूँजी में उनके अंशों के अनुपात में माना जाएगा। कम्पनी के सदस्य, चाहे वे कट–ऑफ तिथि को कम्पनी के अंश भौतिक रूप में रखते हों अथवा डी–मैटेरियलाइज़्ड रूप में, ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डाल सकते है।

ई–वोटिंग के परिणाम, एजीएम में आयोजित मतदान के परिणामों एवं संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ, एजीएम प्रस्ताव के पारित होने के दो दिनों के अंदर, उन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रेषित कर दी जाएगी जहाँ कम्पनी सूचीबद्ध है तथा कम्पनी की वेबसाइट **www.ndtv.com** एवं कार्वी की वेबसाइट **https://evoting.karvy.com** पर प्रदर्शित कर दी जाएगी।

ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत हेतु कार्वी को 040–44655000 अथवा 1800 345 4001 (टोल फ्री) अथवा उनके ई–मेल **evoting.karvy.com** को संबोधित कर, तत्काल ध्यान आकर्षण हेतु इसकी एक प्रति श्री हेमन्त कुमार गुप्ता, एवीपी–लीगल व सेक्रेटेरियल को उनके ई–मेल पते **hemantg@ndtv.com** पर प्रेषित करें।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के अनुपालन में एतद् द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अन्तरण पुस्तकें शुक्रवार, 5 सितम्बर 2014 से सोमवार, 8 सितम्बर 2014 (दोनो दिवस शामिल) तक आगामी वार्षिक आम सभा के उद्देश्य से बंद रहेंगी।

टिप्पणियाँ:

1. वे सदस्य जो वार्षिक आम सभा ("सभा") में भाग लेने तथा वोट देने के अधिकारी हैं, वे अपने स्थान पर भाग लेने तथा वोट करने हेतु प्रॉक्सी नियुक्त करने के अधिकारी हैं तथा उक्त नियुक्त प्रॉक्सी को कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।
2. विधिवत पूरित, मुहर सहित एवं हस्ताक्षरित प्रॉक्सी फॉर्म, प्रभावी होने हेतु, कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सभा हेतु निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व पहुँच जाने चाहिए।
3. एक व्यक्ति अधिकतम 50 सदस्यों तथा वोटिंग के अधिकार वाले, कम्पनी की कुल अंश पूँजी के कुल अधिकतम 10 प्रतिशत अंशों के धारक हेतु प्राक्सी के तौर पर कार्य कर सकता हैं। एक सदस्य, जो कम्पनी की कुल अंश पूँजी के 10 प्रतिशत से अधिक अंश हेतु मतदान का अधिकारी है, वह एकमात्र व्यक्ति को प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता है तथा कथित व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति अथवा सदस्य का प्रॉक्सी नहीं होना चाहिए।

नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड के लिए
हस्ता/–
के. वी. एल. नारायण राव
कार्यकारी उपाध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 22 अगस्त, 2014

श्री शाहिद जमाल अहमद

मांस, कच्ची सामग्री तथा अन्य सम्बद्ध डेयरी और पशु उत्पादों के ... उत्पादकों, ... व्यापारियों, आयातकों, निर्यातकों, क्रेताओं, विक्रेताओं, थोक ... व्यवसाय।

... मार्ग, सराय जुल्लेना, नई दिल्ली-110025
... होटल सूर्या क्राउन प्लाजा के सामने, नई दिल्ली-110025

... उक्त राशि 9% ब्याज के साथ।

प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ इंडिया